न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 45 / 2025 **दायर दिनांकः 19.03.2025**

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी पटना
2. लोकेश कुमार नागर आयु 36 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. अमरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र पृथ्वीलाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

निर्णय दिनाक : 22.05.2025

वकील मय वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पटना पटवार हल्का पटना तह. अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 4 का खसरा न. 197 का रकबा 2.27 है., खसरा न. 244 का रकबा 1.52 है., खसरा न. 299 का रकबा 0.83 है., खसरा न. 376 / 1334 का रकबा 0.18 है., खसरा न. 377 का रकबा 0.37 है. कुल किता 5 का रकबा 5.17 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता चली आ रही है। वाके ग्राम एवं माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना तह. अटरू जिला की आराजी खाता संख्या 2 का खसरा न. 950 का रकबा 0.20 है., ख.न. 951 का रकबा 0.11 है., खसरा न. 952 का रकबा 0.19 है., खसरा न. 953 का रकबा 0.01 है., खसरा न. 954 का रकबा 0. 10 है., खसरा न. 966 / 1335 का रकबा 0.14 है. कुल किता 6 का रकबा 0.75 हैक्टर आराजी

प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता चली आ रही है। वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजीयात को उक्त वाद में विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। जिनकी नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2075 2078 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है । वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी पैतृक संपत्ति है जो वादी के दादाजी पृथ्वीलाल से प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई थी । वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र एवं विधिक वारिसान है। इसलिए वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजीयात पैतृक संपत्ति होने से वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 बनता है तथा वाद पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 बनता है। वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से ही हक़ अधिकार है। इसलिए वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन करवाने के अधिकारी है। वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से दिनांक 05/03/2025 को किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने अलग से नाम खाते दर्ज करवाने से साफ़ मना कर दिया और आराजी को रहन बेचान कर खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वादीगण के.सी.सी. नही बनवा सकते व अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभनहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है । जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में जन्म से ही हक़ अधिकार बनता है जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उनके अवैधानिक एवं अवैध कृत्य से रोका जाना संभव नही है। वाद कारण प्रथम व अंतिम बार दिनांक 05/03/2025 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में वादीगण के हिस्से को वादीगण के नाम खाते दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा खाते दर्ज करवाने से स्पष्ट मना कर देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ । अस्तु वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है कि वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन करवाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि को रहन बेचान व खुर्द बुर्द नहीं करे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पटना व महाराजपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को

क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जाए –

(अ) कि वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में वादीगण को वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि आराजी खाता संख्या 4 का खसरा नं. 197 का रकबा 2.27 है0, खसरा नं. 244 का रकबा 1.52 है0, खसरा न. 299 का रकबा 0.83 है0, खसरा न. 376/1334 का रकबा 0.18 है0, खसरा न. 377 का रकबा 0.37 है0 कुल किता 5 का रकबा 5.17 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 का तथा वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 2 का खसरा नं. 950 का रकबा 0.20 है0, ख.न. 951 का रकबा 0.11 है0, खसरा न. 952 का रकबा 0.19 है0, खसरा न. 953 का रकबा 0.01 है0, खसरा न. 954 का रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 966/1335 का रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.75 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक़ल जमाबन्दी में पृथक से खाते दर्ज किया जावे । इस हेतु प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश प्रदान किया जाए।

(ब) कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम व माल पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 4 किता 5 का रकबा 5.17 है0 एंव ग्राम महाराजपुरा की खाता संख्या 2 किता 6 का रकबा 0.75 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाता दर्ज चली आ रही है जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। उक्त प्रकरण में आपसी सहमति से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामा हो गया है। जिसे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 माननीय न्यायालय में तस्दीक करवाना चाहते है। ग्राम पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 4 किता 5 का रकबा 5.17 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3–1/3 एवं ग्राम महाराजपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 2 किता 6 का रकबा 0.75 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार कृषक घोषित

किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। वादीगण की माता/प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नी श्रीमती रेखा बाई द्वारा भी पेश राजीनामा में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है तथा स्वयं उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र पेश किया गया।

राजीनामा पढकर सुनाया गया तथा सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत पटना के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र है तथा इनके अलावा प्रतिवादी का कोई वारिस होना नही बताया है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की आराजी खाता संख्या 4 का ख0नं0 197 रकबा 2.27 है0, ख0नं0 244 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.83 है0, ख0नं0 376/1334 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 377 रकबा 0.37 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.17 है व ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की आराजी खाता संख्या 2 का खसरा नं. 950 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 951 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 952 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 953 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 954 0.10 है0, ख0नं0 966/1335 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.75 है0 आराजी अमरलाल पुत्र पृथ्वीलाल जाति धाकड के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड व वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के वैध वारिसान है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना पटवार हल्का पटना की आराजी खाता संख्या 4 का ख0नं0 197 रकबा 2.27 है0, ख0नं0 244 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.83 है0, ख0नं0 376/1334 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 377 रकबा 0.37 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.17 है0 हिस्सा सम्पूर्ण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 एवं ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना की आराजी खाता संख्या 2 का खसरा नं. 950 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 951 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 952 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 953 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 954 0.10 है0, ख0नं0 966/1335 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.75 है0 का हिस्सा सम्पूर्ण में वादीगण व

प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल, माल 1, बारानी 1, बारानी 2, गै0मु0 चाह, चाही, जाव का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 45/2025 **दायर दिनांकः 19.03.2025**

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी पटना
2. लोकेश कुमार नागर आयु 36 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. अमरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र पृथ्वीलाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना पटवार हल्का पटना की आराजी खाता संख्या 4 का ख0नं0 197 रकबा 2.27 है0, ख0नं0 244 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.83 है0, ख0नं0 376/1334 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 377 रकबा 0.37 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.17 है0 हिस्सा सम्पूर्ण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 एवं ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना की आराजी खाता संख्या 2 का खसरा नं. 950 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 951 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 952 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 953 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 954 0.10 है0, ख0नं0 966/1335 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.75 है0 का हिस्सा सम्पूर्ण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल, माल 1, बारानी 1, बारानी 2, गै0मु0 चाह, चाही, जाव का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)